न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 421/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/349

अनवान

1 श्री देवीलाल पिता हरिराम जी गाडरी दत्तक पुत्र गंगाराम जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपु राज.।

.........वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती भागु बाई पुत्री स्व. गंगाराम जी गाडरी पत्नी श्री जालम जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल निवासी नवानियां तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती भेरी पुत्री स्व. गंगाराम जी पत्नी श्री नगा जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल निवासी नीमडी गाडरीयावास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

2/1 श्री लक्ष्मण पुत्र नाबालिग संरक्षक पिता श्री नंगा जी गाडरी निवासी नीमडी की गाडरीयावास कूंथवास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्रीमती कैलाश पुत्री नंगा जी गाडरी निवासी कूंथवास की गाडरीयावास कूंथवास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.09.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 159 की आराजी संख्या 911, 3913, 3916, 3920, 3923, 3933/2 किता 06 रकबा 17 बिघा 14 बिस्वा भूमि वेणीराम, हरिराम, गंगाराम, चतरा पिता जीवा गाडरी साकिन अमरपुरा खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से वेणीराम के बजाय नकारी बेवा वेणीराम, लालु पिता वेणीराम 1/4 एवं गंगाराम पिता जीवा 1/4 के बजाय भागु, भेरी पिता गंगाराम 1/4 दर्ज, हरिराम पिता जीवा 1/4 के बजाय राधु, शंकरलाल, पिता हरिराम, सवली बाई पत्नी हरिराम 1/4 दर्ज है। नकारी बाई का हिस्सा लालु पिता वेणीराम के नाम दर्ज। यह कि वर्णित भूमि का 1/4 हिस्सा गंगाराम पिता जीवा के बजाय भागु, भेरी पिता गंगाराम 1/4 दर्ज है उसी का विवाद होने से अन्य सहखातेदारान [illegible] बनाया गया है।. परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 78 की [illegible] 23 बिघा 5 बिस्वा है जो उकार, खुमा, रामा पिता दुदा, भीमा [illegible] पिता उदा 1/2 हिस्सा बराबर, परथा पिता वेणा, दीपादला, खेमा [illegible] लखा, तेजा पिता रूपा पिता कला, देवा, रामा, भागचन्द, नारायण पिता गोटू 1/2 हिस्सा बराबर गाडरी साकीन अमरपुरा खातेदार दर्ज है। विक्रय से भीमा पिता गांगा का 1/20 वां हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested

कन्हैयालाल पिता भागचन्द नाबालिग बविलायत पिता भागचन्द पिता गोदू गाडरी साकिन अमरपुरा के नाम दर्ज। विरासत से हरिराम पिता जीवा गाडरी के बजाय राधु, शंकर पिता हरिराम, सवली बाई पत्नी हरिराम के नाम दर्ज। विरासत से दीपा पिता कालु बजाय राधु पिता दीपा गाडरी के नाम दर्ज। इस परिशिष्ट में भी गंगाराम पिता जीवा 1/48 हिस्से बाबत् ही विवाद होने से अन्य सहखातेदारों का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

2 यह कि वादी की प्राकृतिक माता श्रीमती सवली बाई और प्राकृतिक पिता श्री हरिराम प्रतिवादी संख्या 1, 2 की माता श्रीमती वरजूबाई और पिता श्री गंगाराम जी ने वादी को साल पहले जब वादी 17 वर्ष की आयु का था तब सम्वत् 2035 को गांव अमरपुरा खालसा मे उनके घर पर प्राकृतिक माता पिता ने गोद दिया और उन्होने गोद लिया जिस प्रतिवादी संख्या 1, 2 के माता पिता वादी के गोदीने माता पिता है और पक्षकारान आपस में भाई बहिन है। राजकीय क्षैत्र सामाजिक क्षैत्र गांव जाति सभी जगह वादी देवीलाल पिता गंगाराम गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की शादी होने के बाद वे अपने अपने सुसराल में आबाद है। वादी एकाकी रूप से गंगाराम पिता जीवा जी गाडरी की अन्दर हल्का आबादी की जायदाद पर काबिज होकर निरन्तर निराबाध काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण 1, 2 परिशिष्ट क, ख की जायदाद मे एक अधिकार कब्जा नहीं है लेकिन वादी से द्वेषता रखने वालो ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहकाया, फुसलाया जिससे गत 4 वर्षो से इन्होने वादी के गोद को चुनौती देना शुरू किया और गोद नकार रही है। तथा राजस्व एवं पंचायत कर्मचारियो से मिलकर परिशिष्ट क की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने छुपते तोर से अपने नाम करा ली है तथा परिशिष्ट ख में वर्णित भूमि स्वर्गीय श्री गंगाराम पिता जीवा गाडरी के नाम ही अंकित है जिससे वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात परिशिष्ट क में स्व. मेरी पिता गंगाराम के बजाय वादी को व परिशिष्ट ख की आराजी में गंगाराम पिता जीवा के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2 के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी डबल्यू – 1 स्वयं का पेश किया तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2050 – 2053 की खाता संख्या नया प्रदर्श–1, खाता संख्या नया 79 प्रदर्श–2, मूल आधार कार्ड प्रदर्श–3 व उसकी प्रति प्रदर्श– 3A मूल जन आधार कार्ड प्रदर्श–4 व उसकी प्रति प्रदर्श–4A, मूल राशन कार्ड प्रदर्श – 5 व उसकी प्रति प्रदर्श–5A जमा किये गये। अन्य शपथ पत्र पी डबल्यू – 2 भगवतीलाल पिता स्व. तेजिग खटिक का पेश किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण मे विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। हमने लिखित बहस पर मनन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की वाद पत्र की कलम न 1 की परिशिष्ट क में वर्णित भूमि का 1/4 हिस्सा गंगाराम पिता जीवा के बजाय भागु भेरी पिता गगाराम के नाम विरासत से दर्ज है और कलम संख्या 3 के परिशिष्ट ख की भूमि में गंगाराम पिता जीवा 1/48 हिस्सा दर्ज है। स्वं गंगाराम के नाम पर दर्ज हिस्से का विवाद होने से अन्य पक्षकारान को मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रकरण में वादी द्वारा स्वयं को स्वं. गंगाराम जी का दत्तक पुत्र होने का कथन कहा है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदेश – 1 से पाया कि खाता संख्या नया 159 में नामान्तरण संख्या 3323 विरासत दिनांक 24.06.2010 से गंगाराम पिता जीवा 1/4 के बाजय भागु भेरी पिता गंगाराम 1/4 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। दस्तावेज प्रदर्श–2 से पाया कि खाता संख्या नया 79 स्व. गंगाराम के नाम 1/48 हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। दस्तावेज प्रदर्श–3A आधार कार्ड से पाया कि देवीलाल गाडरी के पिता का नाम गंगाराम गाडरी अंकित है। दस्तावेज प्रदर्श –4A जन आधार कार्ड की प्रति जिसमें परिवार की मुखिया का रम्भाबाई अंकित है। दस्तावेज प्रदर्श–5 A राशन कार्ड की प्रति जिसमें मुखिया देवीलाल गाडरी पिता का नाम गंगाराम गाडरी अंकित है।

6. वादी द्वारा स्वयं को स्वं. गंगाराम गाडरी का गोद पुत्र बताया है जिसके संबंध में वादी द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित नही होता की वादी स्वं गंगाराम जी का गोद पुत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी अपने कथन को साबित करने में असफल रहे। अतः वादी का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 421/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/349

अनवान

1. श्री देवीलाल पिता हरिराम जी गाडरी दत्तक पुत्र गंगाराम जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपु राज.।

............वादी

बनाम

1. श्रीमती भागु बाई पुत्री स्व. गंगाराम जी गाडरी पत्नी श्री जालम जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल निवासी नवानियां तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती भेरी पुत्री स्व. गंगाराम जी पत्नी श्री नगा जी गाडरी निवासी अमरपुरा खालसा हाल निवासी नीमडी गाडरीयावास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/1 श्री लक्ष्मण पुत्र नाबालिग संरक्षक पिता श्री नंगा जी गाडरी निवासी नीमडी की गाडरीयावास कूंथवास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्रीमती कैलाश पुत्री नंगा जी गाडरी निवासी कूंथवास की गाडरीयावास कूंथवास हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.

1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न. : 421/21 (वाद)</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.0[illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested